न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/54/18	12–06–2018	17–07–2018

1- **STATE BANK OF INDIA SAMB-1,6TH Floor, Mohan Singh Place, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi-110001**

VS

1- **The Managing Director M/s RGTL Industries Limited 24/1A, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road Delhi-110044**

Director (s) & Guarantor (s)

2- **Sh. Saurabh Rathi 26A, Sadhna Enclave, Near Malviya Nagar, New Delhi-110017**

3- **Sh. Raj Kumar Rathi 26A, Sadhna Enclave, Near Malviya Nagar, New Delhi-110017**

Corporate Guarantor (s)

1- **M/s Rathi Graphic Technologies Ltd. 24/1A, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044**

Respondents

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

——:: निर्णय ::——

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर **1.(a)Hypothecation on Entire Current Assets of the company stocks of raw material, finished goods, stock-in-process, stores & spares, packing materials at the Company's factory premises or at such other places as may be approved by the bank from time to time, including goods at port/in transti/under shipment, outstanding money, book-debts, receivables and other current assets etc. Hypothection of Stock & Receivables. Our share 46.28%. (b) Hypothecation on residual fixed assets of company situated at Survey No. 293-296 Phase 4, Chopanki, Bhiwadi, Village/Town/City: Bhiwadi, District : Alwar, State : Rajasthan, Pin Code : 301019. (Our share 81.54%) 2. First Charge by way of pledge of fixed Deposits (Exclusive for SBI) (c) Hypothecation on residual entire current assets of the company (Our share 46.28%).**

Immovable **All that part and parcel of Factory land & Building situated at Property Bearing No. SP- 293 to 296, Riico industrial Area Phase-IV, Chopanki, Bhiwadi, District Alwar, State- Rajasthan, Pin code-301019** को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नही किया।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अप्रार्थी के प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ऋण की अदायगी में विश्वास रखता है और ऋण के पेटे में बैंक में अप्रार्थी द्वारा कुछ राशि बैंक में जमा करावे दिये है, परन्तु बैक ने हमारे साथ धोखा किया है। प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह गलत पेश किया है तथा प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व अप्रार्थी को सुना जाना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा कार्यालय वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लिमिटेड भिवाडी अलवर से लीजडीड पर आवंटी की हुई। प्रार्थी द्वारा सिक्युरिटी इन्टरेस्ट नियम 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत कोई नोटिस अप्रार्थी को नही दिया गया ना ही प्रार्थी को इस नोटिस की कोई तामील हुई इसलिए कानूनन धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रिजर्व बैंक आफॅ इण्डिया की गाईड लाईन के अनुसार ब्याल इण्डस्ट्रीज ऋण पर किस दर से लगाया जाना चाहिए तथा प्रार्थी ने किस दर से किस राशि पर कितना ब्याज लगाया है इसका भी कोई विवरण ना तो प्रार्थी को उपलब्ध कराया और नाही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को असल व ब्याज की राशि नही बतायी गई, जिस राशि की वसूली 80,92,80,527.35 रूपये दिनांक 31–12–2017 तक बकाया अंकित किया है उक्त राशि में कितनी असल है एवं कितनी ब्याज की राशि है ऐसा कोई स्अेटमेन्ट प्रार्थी को उपलब्ध नही कराया है। प्रार्थी बैंक ने प्रार्थी के एकाउन्ट को एनपीए करने से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस किसी प्रकार का नहीं दिया। नोटिस दिया जाता तो प्रार्थी बैंक के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना हिसाब करता लेकिन बैक ने मनमानी करते हुए कार्यवाही की है। धारा 13(4) सरफासी एक्ट के तहत दिया गया नोटिस वैधानिक नोटिस नही है। धारा 14 सरफासी एक्ट के तहत उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। सरफासी एक्ट के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें चल व अचल सम्पत्ति का विवरण दिया गया है लेकिन चल सम्पत्ति में करन्ट ऐसेस्ट कम्पनी की कितनी है तथा रॉ मेटेरियल कितना है फिनिस गुड्स स्टॉक इन प्रोसेस कितना है एवं अन्य चल शेयर आदि कितने है तथा उनको इस सूरत में हाईपोथिकेशन किया गया उसके संदर्भ में कोई दस्तावेज ना तो प्रार्थी को उपलब्ध करवाये गये है और ना ही प्रार्थी को ऋण प्रदान करते समय चल सम्पत्ति मोर्गेज होने का कथन किया गया था। इस सम्बन्ध में विभिन्न उच्च न्यायालयो का यह मत व न्यायिक दृष्टांत पारित किये गये है। प्रार्थी को ऋण सम्बन्धित खाते उपलब्ध करवाये जावें तथा उसे ब्याल दर व ब्याज राशि किस समय कितनी–कितनी लगाई गई तथा अनुबंध के समय ऋण किस ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया गया वर्तमान स्थिति में बकाया राशि कितनी रही बताना चाहिए। प्रार्थी को आज तक ऐसी कोई सूचना नही दी गई तथा प्रार्थी को बिना बताये एवं बिना सुने हुए तथा उसे अदायगी कर समय प्रदान किये हुए धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं धारा 13 (4) सरफासी एक्ट के तहत जारी नोटिस विधि अनुसार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण अदायगी का समय दिया जावें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

अप्रार्थी के प्रतिनिधि को सुना गया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट धारा–14 के तहत प्रकरण का निस्तारण करता जिसके तहत प्रार्थना पत्र जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश करने का नियमों में कोई प्रावधान नही है और ना ही ऋणी को

सुनने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में ऋणी का सुनने का कोई औचित्य नही है, और ना ही वर्तमान में डी0आर0टी0 द्वारा प्रकरण में वसूली कार्यवाही रोके जाने हेतु स्थगन आदेश जारी किया है की प्रति पेश की गई है। बैक द्वारा प्रस्तुत धारा 14 के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में बैंक द्वारा अप्रार्थी को भेजे गये धारा 13 (2) के नोटिस की फोटो प्रति संलग्न की है। नियमों में प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई प्रावधान नही है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :–

1–रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.–आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **17–07–2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)